सं0सं0–1/आई०–11/2017– 45(1)ता

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक– 10 / 10 /2017

विषयः– **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित सहायक अनुदान की राशि रु० 18,00,00,000/–(रुपये अठ्ठारह करोड़) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–1166(1) दिनांक–05.10.2017 के आलोक में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित सहायक अनुदान की राशि रु० 18,00,00,000/–(रुपये अठ्ठारह करोड़) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– संस्थान से सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित राशि की विमुक्ति के प्राप्त अनुरोध के आलोक में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित सहायक अनुदान की राशि रु० 18,00,00,000/–(रुपये अठ्ठारह करोड़) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है–

(i) संस्थान को चिन्हित योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति संस्थान के शासी निकाय से प्राप्त करना आवश्यक होगा। नियमानुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलनों के साथ प्रस्ताव शासी निकाय के समक्ष ले जाया जायेगा।

(ii) योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति एवं इनके क्रियान्वयन में वित्त नियमावली, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन कराने की पूर्ण जिम्मेवारी निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

(iii) किसी भी अन्य योजना से प्रारंभ की गई योजना को इस राशि से पूर्ण नहीं किया जायेगा।

(iv) संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि चिन्हित योजना/कार्य संस्थान के हित में है एवं इन कार्यों को इस राशि से सम्पन्न कराना आवश्यक है तथा चिन्हित योजना/कार्य पर विगत तीन वर्षों में किसी भी प्रकार का व्यय नहीं हुआ हो।

(v) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की सारी जवाबदेही निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

3– यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं०–2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/वि०(2), दि०–08.04.08, 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 एवं 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

क्रमशः

4– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0017–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, विपत्र कोड–20–2210051050017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान में 0017.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन ईकाई से किया जायेगा।

5– चूँकि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग इस राशि की निकासी ए०सी० बिल पर नहीं करेंगे बल्कि अनुदान विपत्र बी०टी०सी० फॉर्म–42 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, पूर्व प्राप्त रसीद (Pre-receipted Voucher) लेकर, निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध कराएँगे। निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराएँगे।

7– इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

8– इस राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9– इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 10/10/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/आई०–11/2017– 451(1)690 /स्वा०, पटना, दिनांक– 10/10/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10/10/17

सरकार के विशेष सचिव

सं0सं0–1/आई०–11/2017– 1166(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 6 / 10 /2017

विषय:– इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित सहायक अनुदान की राशि रु० 18,00,00,000/–(रुपये अठ्ठारह करोड़) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत।

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य में अतिविशिष्ट विषयों में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सा शास्त्र विषयों के क्षेत्र में सेवा अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त की गई है। राज्य में सरकारी प्रक्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की समुचित सुविधा एकमात्र इसी संस्थान में है।

2– संस्थान से सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित राशि की विमुक्ति के प्राप्त अनुरोध के आलोक में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित सहायक अनुदान की राशि रु० 18,00,00,000/–(रुपये अठ्ठारह करोड़) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है–

(i) संस्थान को चिन्हित योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति संस्थान के शासी निकाय से प्राप्त करना आवश्यक होगा। नियमानुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलनों के साथ प्रस्ताव शासी निकाय के समक्ष ले जाया जायेगा।

(ii) योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति एवं इनके क्रियान्वयन में वित्त नियमावली, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन कराने की पूर्ण जिम्मेवारी निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

(iii) किसी भी अन्य योजना से प्रारंभ की गई योजना को इस राशि से पूर्ण नहीं किया जायेगा।

(iv) संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि चिन्हित योजना/कार्य संस्थान के हित में है एवं इन कार्यों को इस राशि से सम्पन्न कराना आवश्यक है तथा चिन्हित योजना/कार्य पर विगत तीन वर्षों में किसी भी प्रकार का व्यय नहीं हुआ हो।

(v) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की सारी जवाबदेही निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

3– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं०–2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/वि०(2), दि०–08.04.08, 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 एवं 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

क्रमशः

4– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0017–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, विपत्र कोड–20–2210051050017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान में 0017.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन ईकाई से किया जायेगा।

5– इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग इस राशि की निकासी ए०सी० बिल पर नहीं करेंगे बल्कि अनुदान विपत्र बी०टी०सी० फॉर्म–42 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, पूर्व प्राप्त रसीद (Pre-receipted Voucher) लेकर, निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध कराएँगे। निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराएँगे।

7– इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

8– इस राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9– प्रस्ताव में माननीय स्वास्थ्य मंत्री की सहमति संचिका संख्या–1/आई०–11/2017 के पृष्ठ–9/टि० पर दिनांक–01.09.2017 को प्राप्त है।

10– प्रस्ताव में माननीय वित्त मंत्री की सहमति संचिका संख्या–1/आई०–11/2017 के पृष्ठ–12/टि० पर दिनांक–15.09.02017 को प्राप्त है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारुप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/आई०–11/2017 के पृष्ठ–8/टि० पर प्राप्त है।

12– यह मात्र राज्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/10/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:–1/आई०–11/2017–1166(1) /स्वा०, पटना, दिनांक– 6 / 10 /2017

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/10/17

सरकार के विशेष सचिव